

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा।

पत्रांक— 631अनु0/आरा, दिनांक 10/07/2025

प्रेषक, ई0 प्रवीण कुमार सिन्हा
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर।

विषय:—ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष **MMGSUY** के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत कुल 05 (पाँच) अदद पथों के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथ संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:—आपका पत्रांक 1381 अनु0 दिनांक 09.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 05 (पाँच) पथों का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

1. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
2. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
3. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
4. कार्यपालक अभियंता पथ/पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी कार्य अंचल, आरा को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
6. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
7. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

परिषिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष MMGSUY के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत कुल 05 (पाँच) अदद पथों के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथ संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:-

क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि Cost of Initial Rectification, Minor Improvement if required and Surface Renewal/ Cost of 6 Years O&M/ E&P.A@15% and A&C@2.25+1% (in Lakhs)	तकनीकी स्वीकृति की राशि Cost of Initial Rectification, Minor Improvement if required and Surface Renewal/ Cost of 6 Years O&M (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6
1	Pithari Path To Budha Dih	0.550	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	33.363	29.963
2	Mahuwari To Anusuchit Jati	0.400	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	25.073	21.453
3	Chunni Main Road To Gurona	0.700	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	50.158	42.430
4	Chunni Kamarpur Path To Dudhani Anusuchit Jati	1.097	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	67.476	57.799
5	Rani Ghati To Nawtanpur (Chausa Garh)	0.950	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	58.953	50.055

अनु०-स्वीकृत प्राक्कलन की एक-एक प्रति मूल में।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अंचल, आरा

10/07/25

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।

प्रशासनिक स्वीकृति:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाय।
3. निर्माण कार्य विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार-प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से कार्यपालक अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
 - प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
 - अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रोसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु कार्यपालक अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात कार्यपालक अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रेडिंग Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाय।

15. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
16. कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीर्ष MMGSUY योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
17. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी अथवा अन्य योजनाओं के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।
18. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
21. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
22. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण अंचल कार्यालय को सूचना देते हुए क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
23. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
24. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
25. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।
26. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
27. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
28. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
29. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण सामग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्टर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से ही देय होगी।
30. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा

10/04/25